

162634 - छोटी नापाकी के साथ कुरआन पढ़ने का हुक्म

प्रश्न

यदि (स्मरण से) कुरआन पढ़ना वुजू के साथ मुसतहब है, तो क्या उसे बिना वुजू के पढ़ना अनेच्छिक (मक़ूह) है ?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

हदस असगर (छोटी नापाकी) वाले व्यक्ति के लिए कुरआन पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है, कुछ विद्वानों ने इसके जाइज़ होने पर सर्व सहमति (इजमाअ) का उल्लेख किया है, तथा इस मसअले के बारे में सहीह हदीसें आई हैं जो इस बात को स्पष्ट रूप से ब्यान करती हैं कि उस आदमी पर वुजू अनिवार्य नहीं है जो कुरआन पढ़ने का इरादा करे और उसे छोटी नापाकी हो। बल्कि मतभेद केवल उसके कुरआन को छूने और जनाबत (वीर्य पात) वाले के लिए उसकी तिलावत करने में है। जमहूर विद्वानों ने इस से मना किया है।

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि उन्होंने ने एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पत्नी मैमूनह - वह उनकी खाला थीं - के पास रात गुज़ारी, वह कहते हैं : तो मैं तकिया की चौड़ाई में लेटा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उनकी पत्नी उसकी लम्बाई में लेटे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सो गए यहाँ तक कि जब आधी रात हो गई या उस से कुछ पहले या उस के कुछ बाद तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नींद से जागे और बैठकर अपने हाथ के द्वारा अपने चेहरे से नींद को मिटाने लगे, फिर सूरत आल इम्रान की अंतिम दस आयतें पढ़ीं, फिर एक लटके हुए मशकीज़े की ओर खड़े हुए और उस से वुजू किया और अच्छी तरह वुजू किया फिर खड़े होकर नमाज़ पढ़ने लगे।” इसे बुखारी (हदीस संख्या : 4295) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 763) ने रिवायत किया है।

और इमाम बुखारी ने इस हदीसे पर यह सुर्खी लगाई है : “हदस (नापाकी) इत्यादि के बाद कुरआन पढ़ने का अध्याय”.

इब्ने अब्दुल बर ने फरमाया :

“ इस हदीस के अंदर : बिना वुजू के कुरआन पढ़ने का सबूत है, क्योंकि आप ने अधिक मात्रा में नींद लिया जिसके समान चीज़ के बारे में मतभेद नहीं किया जा सकता, फिर आप नींद से जागे और वुजू करने से पहले कुरआन पढ़ा, फिर इसके बाद आप ने वुजू किया और नमाज़ पढ़ी।” “अत्तमहीद लिमा फिल मुवत्ता मिनल मआनी वल असानीद” (13/207) से समाप्त



हुआ।

नववी - अल्लाह उन पर दया करे - ने फरमाया :

“इस हदीस में मोहूदिस (छोटी नापाकी वाले व्यक्ति) के लिए कुरआन पढ़ने की वैधता पाई जाती है, और इस पर मुसलमानों की सर्व सहमति है।” मुस्लिम की शर्ह (6/46) से संपन्न हुआ।